लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स बिहार सोलर, प्रस्तावक, श्री मुन्ना कुमार, पिता–श्री राजकिशोर प्रसाद, पता–ज्योतिषपथ शिवाजी चौक, अपोजिट ज्योतिष भवन, न्यू जगनपुरा, पटना के द्वारा किउल नदी ब्लॉक–04 चन्द्रशौली, पकड़ी, जलजोगा बालू घाट, मौजा–चन्द्रशैली, पकड़ी एवं बड़ीबाग, प्रखंड–खैरा, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 25.08.2023 को अपराहन् 03:00 बजे प्रखंड सभागार खैरा, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2407/2023, दिनांक 20.05.2023 के आलोक में सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, अपर समाहर्ता, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–''दैनिक जागरण'' एवं ''दैनिक भास्कर'', भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **21.07.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार राय ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी ब्लॉक–04 चन्द्रशौली, पकड़ी, जलजोगा बालू घाट, मौजा–चन्द्रशैली, पकड़ी एवं बड़ीबाग, प्रखंड–खैरा, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री गणेश कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक–04 में 14.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 177984 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹227.56 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या–04 को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर ''वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित ''खनन योजना'' के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।
3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निकलने वाले बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देगा खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव / मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया / सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री परमेश्वर यादव, बड़ीबाग, जमुई के द्वारा पुछा गया कि अधिक खनन से नदी से सटे गांव में भूजल स्तर कम हो जाता है। इसके लिए क्या उपाय किया जायेगा।	प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति है। पानी की समस्या वर्तमान में राज्यव्यापी है। 1 मीटर से अधिक गहराई अथवा अवैध खनन की निगरानी ग्रामीणों के द्वारा की जाय तथा इसकी सूचना जिला खनन कार्यालय और जिला प्रशासन को दी जा सकती है जिसपर आवश्यक कारवाई की जायेगी।
2.	श्री मनोज कुमार, बड़ीबाग, जमुई के द्वारा पुछा गया कि अधिक खनन की शिकायत कहाँ पर की जा सकती है।	1 मीटर से अधिक गहराई अथवा अवैध खनन की सूचना जिला खनन कार्यालय और जिला प्रशासन को दी जा सकती है जिसपर आवश्यक कारवाई की जायेगी।
3.	श्री प्रमोद कुमार, बड़ीबाग, जलजोगा, जमुई के द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व में 10 फीट की गहराई तक खनन किया जाता था।	पूर्व में 3 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति थी। नदी के भराव का पुनर्भरण अध्ययन पूर्ण नहीं होने के कारण वर्तमान प्रस्तावित परियोजना में सिर्फ 1 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति है।
4.	श्री मुकेश कुमार सिंह, फतेहपुर, जमुई के द्वारा पुछा गया कि सी0एस0आर0 फंड का सही इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित होगा।	प्रस्तावित परियोजना में पर्यावरण प्रबंधन मद में 13 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें लगभग 150 वृक्षारोपण, नियमित जल छिड़काव, परिवहन में उपयोग होने वाले सड़कों की देखभाल संवेदक द्वारा की जायेगी। उपरोक्त कार्यों के अनुपालन की निगरानी ग्रामीणों द्वारा सुनिश्चित की जाय।
5.	श्री प्रेम सागर, खैरा, जमुई के द्वारा पुछा गया कि नदी से मुख्य सड़क तक सड़क कौन बनायेगा।	प्रस्तावित परियोजना में नदी से मुख्य सड़क तक पहुँच पथ का निर्माण एवं रख–रखाव संवेदक के द्वारा किया जायेगा। यह सड़क आबादी से दूरी को ध्यान में रखकर बनाया जायेगा।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समस्याएं भी साथ में आती हैं इनका निराकरण एवं प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किये जाते हैं। प्रस्तावित खनन परियोजना में गाइडलाइन के अनुसार खनन का कार्य सुनिश्चित किया जाय ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो तथा पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। नियमानुसार खनन होने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है।

पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से भी होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

25-8-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद,
भागलपुर।

अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स बिहार सोलर, श्री मुन्ना कुमार, पिता-श्री राजकिशोर प्रसाद, पता-ज्योतिषपथ शिवाजी चौक अपोजिट ज्योतिष भवन, न्यू जगनपुरा, पटना द्वारा किउल नदी ब्लॉक-04 चन्द्रशौली, पकड़ी, जलजोगा बालू घाट, मौजा-चन्द्रशैली, पकड़ी एवं बड़ीबाग, ब्लॉक-खैरा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 25.08.2023 को अपराहन् 03:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार खैरा, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Satyendra Kumar [illegible]	ADM Jamui	[signature] 25/8/23
2.	Shambhu Nath [illegible]	Regional Officer Bhagalpur B.S.P.C.B.	[signature] 25-8-2023
3.	[illegible]	[illegible]	[signature] 25/8/2023
4.	Ashish Prakash	खान निरीक्षक, जमुई	[signature] 25/8/23
5.	Amish Kumar	Asst Scientific Officer BSPCB Bhagalpur	Amish 25/08/2023
6.	Praveen K RM	RAP [illegible] Env. Consultant	[signature]
7.	मुन्ना कुमार [illegible]	ज्योतिष पथ, शिवाजी चौक रामकृष्णानगर पटना -27	Munna Kumar
8.	चंदन कुमार	पकड़ी	Chandan Kum
9.	शैलेन्द्र कुमार	पकड़ी	शैलेन्द्र कुमार
10.	जगदीश कुमार	पकड़ी	जगदीश कुमार

11.	परमेश्वर यादव	बड़ीबाग	परमेश्वर यादव
12.	प्रमोद कुमार	बड़ीबाग (उमावोरा)	Pramod Kumar
13.	मनोज कुमार	बड़ीबाग	मनोज कुमार
14.	Pradip yadav	Baribag	Pradip yadav
15.	गरभू यादव	पकड़ी	गरभू यादव
16.	रिजय कुमार	पकड़ी	रिजय कुमार
17.	सुमित कुमार	पकड़ी	सुमित कुमार
18.	Sanjit Kumar	Pakri	[illegible]
19.	निवास सिंह	चंद्रपुर	निवास सिंह
20.	Ranjay Kumar	हरियाडीह	Ranjay Kumar
21.	अशोक यादव	बड़ीबागं	अशोक यादव
22.	पंकज कुमार	बड़ीबाग	पंकज कुमार
23.	प्रेमसागर चौधरी	पकड़ी	[illegible]
24.	बबन सिंह	पकड़ी	[illegible]
25.	विमल सिंह	चोपारनडीह	[illegible]

26.	Manish kumar	Pakri	Manish ku
27.	राकेश कुमार	कठडीह	राकेश कुमार
28.	किरा यादव	बजरडर	बीरा यादव
29.	अरविंद शर्मा	लालदेवी	अरविन्द शर्मा
30.	विक्की कुमार	ररिरा	vicky, kumar
31.	नौलेश कुमार	खरेरा	नौलेश कुमार
32.	बाल किशोर यादव	केबला	बाल किशोर यादव
33.	GOPAL	जमुई	GOPAL
34.	राम कुमार	जमुई	रामकुमार
35.	Md. Shamim	BSPCB. Patna	Shami
36.	संजय कुमार	हरियाडीह	संजयकुमार
37.	Bablu kumar	Hariyadih	Bablu kumar
38.	Satyam Singh	Chandrapura	Satyam Singh
39.	SIRKut	मायूर	SIRKut
40.	नितीश कुमार	हरिडीह	नितीश कुमार

41.	Shewam kumar	chandrapura	shivam kumar.
42.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43.	Shatrughan Pd.	Ocamo - Enrime.	S. [illegible]
44.	Rishikant Sharma	Hariyadih (BHOUR)	Rishikant Sharma
45.	Nagendra Kumar	R.C.P.	[illegible]
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			